

86/14 श्री सुधा / सुभाष



दिनांक

आज्ञा पत्र

25-9-19

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक पत्र से कर  
न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पु  
द्वारा दिनांक 11-12-19

11-12-19

वकील अपीलान्ट उपरोक्त नोटिस  
आवश्यक रूप से पेश करें। पेश करने पर  
आरी हो। तहत का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली  
दिनांक 29-1-20 को पेश करें।

29-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट को हिदायत दी जाती है  
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से श्रेष्ठ रैस्पोंडेंटस के  
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर  
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज  
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली  
रहे / तलब किया जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक  
2-2-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि  
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

6-2-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को  
बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल  
6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया  
उसके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता  
अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हाजरी  
एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास  
सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

सूचना अधिकारी एवं  
पदेन राजाराम अर्जुन अधिकारी  
सीकर (कम्प्युटरी)

